



2026:AHC-LKO:19185

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक अपील सं. - 4189/2025

वीरेंद्र यादव

....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से और अन्य

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता	: विश्वास शुक्ला
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 28

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रति शपथपत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।

(आपराधिक विविध आवेदन सं. 1/2025)



अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं, और साथ ही अभिलेख का भी अवलोकन किया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए (2) के अंतर्गत यह वर्तमान आपराधिक अपील, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम), प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2025 को पारित उस आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई है, जो जमानत आवेदन सं. 4294/2025, अपराध वाद सं. 0260/2025 भारतिया न्याय संहिता की धारा 3(5), 70(1), 351(3), 352 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)आर, 3(1)एस, 3(2)वी, 3(2)वी ए के अंतर्गत, पुलिस थाना पट्टी, जिला प्रतापगढ़) से संबंधित है; जिसके द्वारा अपीलकर्ता का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया था।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि अपीलकर्ता को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। इसकी वजह अभियोक्त्री और उसकी सहेली के बीच चल रहे निजी विवाद और तनावपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता, वीरेंद्र यादव का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ.आई.आर में नहीं था। घटना के प्रारंभिक विवरण में भी उन्हें कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई थी। उस विवरण में मुख्य रूप से अमन तिवारी (पवन तिवारी का बेटा) और एक अन्य लड़के का नाम था। इसके बाद यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अभियोक्त्री को पैसे उधार लेने के बहाने उपाध्यायपुर में अमन तिवारी के घर बुलाया गया था, और बाद में अमन तिवारी और विकास वर्मा उर्फ विकास पटेल ने



उसके साथ बलात्कार किया। जबकि, अपीलकर्ता का नाम इस मामले में काफी बाद में जोड़ा गया। यहां तक कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत बयान में भी, अपीलकर्ता पर यौन उत्पीड़न या बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसके बजाय, अभियोजन पक्ष की कहानी को मजबूत बनाने के लिए बाद में अपीलकर्ता की एक छोटी सी भूमिका जोड़ दी गई, जिसमें उसे बस गेट के बाहर खड़ा दिखाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अभियोक्त्री के शरीर पर अंदर या बाहर कोई चोट नहीं मिली है। साथ ही, शुक्राणु न मिलने से गैंगरेप का आरोप पूरी तरह से झूठा साबित होता है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 08.09.2025 से जेल में बंद है। यदि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण की कार्यवाही में पूरा सहयोग करेगा, और साक्षियों को डराने-धमकाने या उन पर दबाव डालने की उसकी कोई संभावना नहीं है।

उपर्युक्त कारणों से, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत त्वरित आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है, और दिनांक 26.11.2025 के विवादित आदेश को अपास्त किया जाए, फलस्वरूप, अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के आवेदन का विरोध करते हुए यह दलील दी है कि अपीलकर्ता पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिनमें

सामूहिक बलात्कार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध शामिल हैं, यद्यपि, वे चिकित्सीय साक्ष्यों से संबंधित उन तथ्यात्मक दलीलों को चुनौती नहीं दे पाए हैं, जिनसे पता चलता है कि शरीर पर कोई अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं है, और न ही उन्होंने अपीलकर्ता के किसी भी पूर्व आपराधिक इतिहास के न होने की बात को ही चुनौती दी है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जाँच करने पर, यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त का नाम एफ.आई.आर में नहीं है। अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम जाँच के दौरान सामने आया। पीड़िता के बयान के अनुसार, उसके साथ अन्य सह-अभियुक्तों ने बलात्कार किया था। अपीलकर्ता-अभियुक्त पर बलात्कार करने का कोई आरोप नहीं है; उसकी भूमिका केवल गेट के बाहर खड़े होकर निगरानी करने या इंतज़ार करने तक सीमित है। अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; और अपीलकर्ता-अभियुक्त विचारण के दौरान ज़मानत पर था और उसने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि विचारण न्यायालय ने, दिनांक 26.11.2025 को ज़मानत आवेदन खारिज करते समय, अभियोजन पक्ष की कहानी में उपस्थित महत्वपूर्ण विरोधाभासों और चिकित्सीय प्रमाणों की कमी को नजरअंदाज किया। अतः, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है और अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है। परिणामस्वरूप, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम), प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2025 को पारित विवादित आदेश एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

अपीलकर्ता - **वीरेंद्र यादव** को उपर्युक्त वाद अपराध सं. में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा:

- (i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा/धमकाएगा नहीं।
- (iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) अपीलकर्ता मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।
- (vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (vii) जब साक्षी उपस्थित हों तो अपीलकर्ता कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (viii) यदि आवश्यक हो, तो अपीलकर्ता दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने के लिए स्वयं उपस्थित रहेगा।



उपरोक्त शर्तों को पूरा न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)

17 मार्च, 2026

हसीन यू.